

कार्यालय जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संरथान समिति
-:: जिला— महासमुन्द (छत्तीसगढ़) ::-

Email ID tribalmahasamund@gmail.com, actd.mahasmund@nic.in

क्रमांक / EMRS / ३० / २०२३–२४ /

महासमुन्द, दिनांक १०/०५/२०२३

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संरथान समिति महासमुन्द के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु अतिथि शिक्षक / छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु

—: मार्गदर्शी सूचना:-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत प्रतिशत पोषित तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला महासमुन्द में जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग हेतु शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थाई रूप से सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर शाला संचालन हेतु शासकीय शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा फेस अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत शिक्षकों से "प्रतिकालखंड" आधार पर अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) लिया जाना है।

1. रिक्तियों की संख्या :— कुल विषयवार शिक्षकों/गैर शिक्षकीय एवं छात्रावास अधीक्षक की संभावित आवश्यकता निम्नानुसार है, जो परिवर्तनीय है :—

क्र.	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	पी.जी.टी.								टी.जी.टी.								छात्रावास अधीक्षक	योग
				पंडित	अंग्रेजी	गणित	भौतिक	सायन	जीवविज्ञान	कल्याण साइंस	पंडित	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	पंडित	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
01	महासमुन्द	महासमुन्द	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	01	01	01	01	01	01	01	02	02	01	02	01	01	01	01	01	01	18

2. पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :—

विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण निम्नानुसार है :—

1- TGT

I. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एनसीआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 04 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री।

- TGT (तीसरी भाषा) – स्नातक में एक विषय संस्कृत होना चाहिए।
- TGT (अंग्रेजी) – स्नातक में एक विषय अंग्रेजी होना चाहिए।
- TGT (हिन्दी) – स्नातक में एक विषय हिन्दी होना चाहिए।

- TGT (गणित) – मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिकी, रसायन, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी।
 - TGT (सामाजिक विज्ञान) – स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई भी दो मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिए – भूगोल/अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र/इतिहास जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए।
 - TGT (विज्ञान) – बॉटनी, जियोलॉजी और केमेस्ट्री में से किन्हीं दो विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री।
- II. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।
- III. राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा(STET PAPER -2)या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET PAPER-2)में पात्रता।
2. PGT
- I. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एनसीआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 02 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री।
 - PGT (अंग्रेजी) :- अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी विषय होनी चाहिए।
 - PGT (हिन्दी) – हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी हिन्दी विषय होना चाहिए।
 - PGT (गणित) – गणित या अप्लाईड गणित में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी गणित विषय होना चाहिए।
 - PGT (भौतिकी) – भौतिकी/एप्लाईड भौतिकी/चूकिलयर भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। स्नातक स्तर पर भी भौतिकी विषय होना चाहिए।
 - PGT (रसायन विज्ञान) – रसायन विज्ञान/जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी रसायन विषय हो।
 - PGT(जीवविज्ञान)–बॉटनी/जियोलॉजी/लाईफसाईंस/बायोसाईंस/जेनेटिक्स/माइक्रो बॉयोलॉजी/बॉयोटेक्नोलॉजी/मॉलिक्यूलर बॉयो/प्लांट फिजियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी बॉटनी एवं जियोलॉजी विषय होना चाहिए।
 - PGT (इंफारमेशन टेक्नोलॉजी) – बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस/आईटी)/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी में एम.टेक डिग्री धारक।
 - II. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।

वांछनीय योग्यता :-

- हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा।
- शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

छात्रावास अधीक्षक :—

- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री ।
वांछनीय योग्यता :-
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा /स्नातक /स्नातकोत्तर या बी0एड0
- शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव ।

3 आयु की गणना :—

फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक

(अ) पीजीटी और टीजीटी के लिए – 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है ।

(ब) छात्रावास अधीक्षक के लिए न्यूनतम 26 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष है ।

सेवानिवृत्त शिक्षक

(अ) सेवा निवृत्त शिक्षकों के लिए – अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष (01 अप्रैल 2023 की स्थिति में) होगी । बशर्ते वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वरूप हो । चिकित्सा–सह–फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

4 चयन प्रक्रिया :—

1. जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी । यदि आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़ कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जाएगा जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।
2. जिला स्तर पर जिलों के अधीन विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर विज्ञापन तैयार कर प्रदेश के 02 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा ।
3. आवेदकों को जिले में स्थित विद्यालयों के लिए प्राथमिकता क्रम से विद्यालय चयन करना होगा ।

5 चयन समिति :—

जिला स्तर पर आवेदन पत्रों की जाँच/परीक्षण/मेरिट सूची आदि जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला महासमुन्द द्वारा तैयार किया जावेगा ।

उपरोक्त समिति योग्यता मापदण्ड शिक्षण अनुभव और आवश्यकता हुआ तो साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन कर शिक्षकों का पैनल सूची बनाई जायेगी तथा पैनल सूची को राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एवं विद्यालय की वेब साईट पर अपलोड किया जायेगा।

6 योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदण्ड :-

(अ.) पी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है के लिए

क्र.	योग्यता	अंक भार
1	हायर सेकेण्डरी के अंकों का	20 प्रतिशत
2	स्नातक के अंकों का	30 प्रतिशत
3	स्नातकोत्तर के अंकों का	50 प्रतिशत
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु—03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु — 05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के प चात छ: माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट— छ: के अनुसार)	03 वर्ष –03 अंक 04 वर्ष –04 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष—05 अंक
5	जिसकी माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो।	5 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	4 अंक
7	हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	2 अंक

(ब.) टी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है के लिए

क्र.	योग्यता	अंक भार
1	हायर सेकेण्डरी के अंकों का	20 प्रतिशत
2	स्नातक के अंकों का	50 प्रतिशत
3	स्नातकोत्तर के अंकों का	30 प्रतिशत
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु—03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु — 05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात छ: माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट— छ: के अनुसार)	03 वर्ष –03 अंक 04 वर्ष –04 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष—05 अंक
5	जिसकी माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो।	5 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	4 अंक
7	हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	2 अंक

9. अनुभव :-

अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला (केन्द्र/राज्य शासन के अधीन)/ शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संरथा/अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र रांबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी नियंत्रण अधीन से प्रतिहरताक्षरित होना चाहिए।
(परिशिष्ट –छः)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए हुए शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जावेगी।

10. नियुक्ति के संबंध में :-

1. पैनल लिस्ट के अथिति शिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पर लिया जा सकता है, जहां उन्हे रिक्ति/छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
3. कार्य पर लिये जाने वाले अतिथि शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जाएगा जिसमें विभिन्न शर्तों के अधिन चालू शैक्षणिक सत्र तक कार्य करने एवं कार्य दायित्वों को उल्लेख होगा। अनुबंध एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि(मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई लंबी छुट्टी) तक या नियमित पदधारी के स्पष्ट रिक्ति के मामले में शामिल होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
4. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करें।

11. मानदेय :-

- प्रेश अभ्यर्थी शिक्षक – पारिश्रमिक/ मानदेय का भुगतान प्रेश अभ्यर्थी शिक्षकों को व्याख्यान/कालखण्ड के आधार पर किया जाएगा।
- पारिश्रमिक :-

(अ) टी.जी.टी. एवं पी.जी.टी. हेतु –

पीजीटी– 320/-प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रु. 45000/- प्रतिमाह के मान से एवं टीजीटी – 300/-प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रु. 42000/- के मान से।

अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखण्ड प्रति दिन और अधिकतम 6 कालखण्ड आबंटित किया जा सकता है। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाता है।

(ब) छात्रावास अधीक्षक –

रु. 1200/- प्रतिदिवस या अधिकतम रु. 36000/- प्रतिमाह के मान से ।

- सेवानिवृत्त शिक्षक – पारिश्रमिक का भुगतान सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर किसी भी विकल्प का पालन करके भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति बिना कोई कारण बताये किसी भी रामय समाप्त की जा सकती है और नोटिस अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

नवोदय विद्यालय (एनबीएस) /केन्द्रीय विद्यालय (केवीएस) और अन्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत जहां पेंशन का प्रावधान लागू है। निजी स्कूल में सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में जहां पेंशन लागू नहीं है, के लिए अधिकतम पीजीटी हेतु ₹ 45000/- टीजीटी हेतु ₹ 42000/- एवं छात्रावास अधीक्षक हेतु ₹ 36000/- का पालन किया जाना है।

12. सामान्य निर्देश :–

(अ) अतिथि शिक्षकों हेतु :–

1. छात्रावास अधीक्षक को गर्मी और सर्दियों की छुट्टी और शरद रितु की छुट्टी या लगातार 15 या अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय से अनुपस्थिति माना जाएगा और उसे बिना वेतन छुट्टी माना जाएगा।
2. अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।
3. अतिथि शिक्षकों के कार्य के घण्टे नियमित शिक्षकों के समान होंगे। अतिथि शिक्षक के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक या पदधारी के समान होगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपी सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्चा, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपें गये कार्यों आदि शामिल होंगे।
4. अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो (व्यक्तिगत/साझा करने के आधार पर) निःशुल्क जो उन्हे अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
5. एकलव्य विद्यालय में नियमित शिक्षक /पदधारी के शामिल होने के मामले में, जहां अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है, अतिथि शिक्षक को अन्य एकलव्य विद्यालय में तैनात किया जा सकता है, जहां उक्त रिक्त मौजूद हो, बशर्ते अतिथि शिक्षक का प्रदर्शन संतोषजनक हो और अतिथि शिक्षक ने आवेदन पत्र में उस एकलव्य विद्यालय के विकल्प का प्रयोग किया। तथापि अतिथि शिक्षकों की कमी की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सहमति से किसी भी एकलव्य विद्यालय में पदस्थापना किया जा सकता है।
6. अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ, अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले भौक्षणिक वर्ष के लिए NESTS के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एकलव्य विद्यालयों में मौजूद रहेगा।

अतिथि शिक्षक के साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश करें वशर्त की रिमिट अभी भी गौजूद हो।

7. राज्य स्तरीय समितियाँ शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

(ब) सेवानिवृत शिक्षकों छेत्र :-

- चरणित उमीदवारों को एकलव्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहाँ उनके रिप्रेट/छुट्टी रिप्रेट के मामले में तैनात किया जायेगा।
- सेवानिवृत शिक्षकों को गारिक आधार पर 10 गढ़ों से अधिक की अवधि के लिए या नियमित पद्धारी के शामिल होने तक, जो भी पहले हो, के लिए रखा जाएगा।
- सेवानिवृत शिक्षकों के काम के पाण्डे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
- एक वर्ष में 8 आकस्मिक अवकाश के प्राप्तान की अनुमति होगी।
- सेवानिवृत शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ नियमित शिक्षक/पद्धारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, राष्ट्र पात्रतावर्ची, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचारी द्वारा रौप्ये गये कर्तव्यों आदि के लिए छात्रों को तैयार करना।
- सेवानिवृत शिक्षक को एक अधिकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा-सह-फिटने प्रगाणपत्र प्रदान करना होगा।
- सेवानिवृत अतिथि शिक्षकों को उनकी उपलब्धता के आधार पर मुफ्त आवास(व्यवितरण/साझा करने के आधार पर) प्रदान किया जा सकता है, जिसे उन्हें अनुबंध की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
- एक सेवानिवृत शिक्षक को आने वाले वर्षों के सेवानिवृत शिक्षक के पैनल के लिए विचार किया जा सकता है, वशर्त उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो। तथापि, यदि अन्यथा पात्र हों तो उन्हें प्रत्येक वर्ष किसी अधिकृत चिकित्साक से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रगाणपत्र जमा करना होगा।

13. आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश :-

1. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य/जिला स्तरीय समिति का अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के रांशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
2. आवेदन पत्र में अपूर्ण/अरपाद एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
3. विज्ञापन से रांबंधित किसी भी प्रकार का रांशोधन/सूचना राज्य आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक रांस्थान समिति एवं रांबंधित जिले के वेबराईट

<https://mahasamund.gov.in> पर अपलोड कर सूचित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।

4. किसी प्रकार की सिफारिस पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
5. इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

14. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया :—

1. विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाईन पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार किया जावेगा, जो eklavya.cg.nic.in पर तथा जिला के वेबसाईट mahasamund.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक-पृथक ऑफलाईन आवेदन कर सकता है।
2. भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व-प्रमाणित होना चाहिए।
3. निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से एकलब्ध आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक/अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023–24 लिखा जाना अनिवार्य होगा।

15. आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ :—

क्र.	विवरण	अभ्यर्थियों हेतु अंतिम तिथि
1.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	22.05.2023

निम्नलिखित अध्यक्ष
जिला स्तरीय आदिम जनति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला—महासमुन्द (छोगो)